

## प्रेषक

महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक / शिविर / ५५२८-३४ / 2013-14 दिनांक १४ नवम्बर, 2013

विषय— शिक्षकों के विद्यालय से अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रायः यह देखा जा रहा है कि महानिदेशालय रत्तर से कराये जा रहे आकस्मिक निरीक्षण में कतिपय शिक्षक विद्यालय से अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, किन्तु सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी जाती है, जिससे सम्बन्धित शिक्षकों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है न ही सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा सम्बन्धित शिक्षक को नोटिस या अन्य प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार से कतिपय शिक्षक मात्र प्रार्थना पत्र देकर चिकित्सावकाश पर रहते हैं, किन्तु उनके द्वारा चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। शासकीय कार्य पर भी अत्यधिक शिक्षकों को दिखाया जा रहा है, जबकि पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा कोई शासकीय कार्य न लिया जाय। यह व्यवस्था किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराई जा सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपदन्तर्गत समस्त प्रधानाचार्यों को कड़े निर्देश जारी करें कि यदि कोई शिक्षक अनियमित रूप से अनुपस्थित रहता है, तो इसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाय साथ ही सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध कारण वताओं नोटिस भी जारी किया जाय। जो शिक्षक मात्र प्रार्थना पत्र देकर चिकित्सावकाश पर चले जाते हैं, उनसे चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय स्वरक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय। साथ ही शासकीय कार्य से किसी भी शिक्षक को कदापि न भेजा जाय। शिक्षकों के विद्यालय से अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित प्राधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।

उक्त निर्देशों को पालन कड़ाई से सुनिश्चित करवाया जाय। निकट भविष्य में उपरोक्त स्थिति की पुनरावृत्ति पाये जाने पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य सहित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

  
(राष्ट्रिका ज्ञा)


महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पु.सं./ शिविर / ५५२८-३४/ 2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
6. अपर निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

  
(राष्ट्रिका ज्ञा)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।